



सं.ए 60011/95/2013/एचआरपीसी/294

**भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**  
**AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA**

दिनांक: 29 मई, 2019

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
उत्तरी/पश्चिमी/पूर्वी/दक्षिणी/उत्तर-पूर्वी क्षेत्र  
नई दिल्ली/मुंबई/कोलकाता/चेन्नई/गुवाहाटी

कार्यपालक निदेशक  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
रे.नि.वि.ए./उ.नि.ए,  
नई दिल्ली

विमानपत्तननिदेशक  
भारतीयविमानपत्तनप्राधिकरण  
कोलकाता/चेन्नईहवाईअड्डा

निदेशक  
भारतीय विमानन अकादमी  
नई दिल्ली

प्रधानाचार्य,  
नागर विमानन प्रशिक्षण महाविद्यालय(सीएटीसी)  
बमरौली, इलाहाबाद

महाप्रबंधक  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
के.रे.भं.डि./वि.एवं यां.कार्यशाला  
नई दिल्ली

**नि.मा.सं.प्र.परिपत्र सं. 31 / 2019**

**विषय: सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके पति या पत्नी के लिए हवाई अड्डों पर विश्राम-कक्ष (रिटायरिंग रूम) तथा भाविप्रा आवासीय कॉलोनी में अतिथि गृह (गेस्ट हाउस) की सुविधा**

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्मुख आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए, कल्याणकारी उपाय के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, सेवारत कर्मचारियों के बराबर शुल्क के भुगतान पर, उपलब्धता के आधार पर, हवाई अड्डों पर विश्राम-कक्ष (रिटायरिंग रूम) तथा भाविप्रा आवासीय कॉलोनी में अतिथि गृह (गेस्ट हाउस) की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सुविधा केवल सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनके पति या पत्नी के लिए होगी।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

  
(संजय जैन)

कार्यपालक निदेशक(मा. सं.)

**वितरण: -**

- अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य अधिकारी
- सदस्य (वित्त) / सदस्य (मा.सं.) / सदस्य (प्रचालन) / सदस्य (योजना) / सदस्य (एएनएस) / मुख्य सतर्कता अधिकारी के उ.म.प्र. (का.सं.)
- निगमित मुख्यालय / प्रचालन कार्यालय / भाविप्रा कार्यालय परिसर में सभी विभागाध्यक्ष
- निगमित मुख्यालय में सभी म.प्र.(मा.सं.)
- म.प्र. (सू.प्रौ.)-भाविप्रा वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- महासचिव - एएईयू
- महासचिव - एएओए(आई)/एटीसी गिल्ड(आई)/एएआई ईजी/आईएएआईओए/ एएआई एससी एसटी एसोसिएशन
- नोट: विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अधिकृत माना जाएगा।



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

No.A.60011/95/2013-HRPC /294.

Dated: 29<sup>th</sup> May, 2019

The Regional Executive Director  
Airports Authority of India  
Northern/Western/Eastern/Southern/North East Region  
Delhi/Mumbai/Kolkata/Chennai/Guwahati.

The Executive Director  
Airports Authority of India  
RC&DU/FIU, New Delhi.

The Airport Director  
Airports Authority of India  
Kolkata/Chennai Airport.

The Director,  
Indian Aviation Academy,  
New Delhi.

The Principal,  
Civil Aviation Training College (CATC),  
Bamrauli, Allahabad.


The General Manager,  
Airports Authority of India  
CRSD/E&M Workshop,  
New Delhi.

**CHRM Circular No. 31 / 2019**

**Sub: Facility of Retiring Room at airports and Guest house at AAI Residential Colony to Retired Employees and his / her spouse**

In order to mitigate the difficulties faced by the retired employees, as a welfare measure, it has been decided to extend the facility of retiring room at airports and guest house at AAI Residential Colony with charges at par with serving employees, as per availability to all retired employees. The said facility be extended for Retired employees or his/ her spouse only.

2. This issues with the approval of Competent Authority.

  
(Sanjay Jain)  
Executive Director (HR)

**Distribution:-**

- ❖ OSD to Chairman
- ❖ DGM (ES) to Member (Fin)/Member (HR) / Member (Ops) / Member (Planning) Member (ANS)/ CVO
- ❖ All HoDs at CHQ / Operational Office / AAI Office Complex
- ❖ All GMs (HR) in CHQ
- ❖ GM (IT) for uploading on AAI Website
- ❖ General Secretary- AAEU
- ❖ General Secretary- AAOA (I) / ATC Guild (I) / AAI Engg. Guild / IAAIOA/ AAI SC/ST Employees Welfare Association.
- ❖ Hindi version will follow.